

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
आज्ञा - पत्र

मुकेश

उनवान

ओमप्रकाश

बनाम

किस्म मुकद्दमा

धारा-223

मि. नं.

52/2021

सन्

अभिभाषक अपीलान्त

श्री चन्द्र प्रकाश खोटेतवान

अभिभाषक रैस्पोंडेन्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10-10-23	<p>पत्रावली पेश हुई। आन्निभाषक अपीलान्त अनपस्थित। शेष रैस्पोंडेन्ट अनपस्थित रहे। पत्रावली में बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर दिनांक 16-10-23 को पेश हो।</p> <p>(दीपति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	
16-10-23	<p>पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। अपीलान्त व उनके आन्निभाषक को रूक-रूक कर तीन बार आवाजें लगावाई गई फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। आन्निभाषक अपीलान्त पूर्व में भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुये। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पेशी में स्वार्जित की जाती है। पत्रावली फैसल शमार होकर बाद तामील तदमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(दीपति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	



श्री मयंक खड्गे लवाल P.S. न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आर.ए.ए कोटा
द्वारा पेश की गई P.O. सां
का पद रिक्त की P.O. सां
के समक्ष पेश हेतु शिक्का
15/9/21 सोकुमराकटा



R.A.
श्रीरवध जाति पेश हो

संलग्न प्रमाण पत्र
15/9/21

मुकेश कुमार पुत्र शंकर लाल, जाति अहीर, (यादव) निवासी खोद तहसील
पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

—अपीलांत

बनाम

- 1- ओम प्रकाश पुत्र मोहन लाल जाति बसाई, निवासी गणेशपुरा तहसील
पचपहाड जिला झालावाड
- 2- लक्ष्मी बाई पत्नि लालचन्द जाति तम्बोली, निवासी गणेशपुरा तहसील
पचपहाड जिला झालावाड
- 3- शाखा प्रबन्धक, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गणेशपुरा तहसील
पचपहाड जिला झालावाड
- 4- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड जिला झालावाड

—रेसपोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.07.17.

न्यायालय उखण्ड अधिकारी भवानीमंडी

प्रकरण संख्या-38/दावा/2017

उनवान ओम प्रकाश बनाम लक्ष्मी बाई व अन्य

अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

मान्यवर,

अपीलांत निम्न निवेदन करता है—

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गणेशपुरा तहसील
पचपहाड में खसरा नम्बर 138 एवं 222 कुल दो कित्ता की 10 बीघा 1 बीघा

15/9/21